

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/2362 /

जबलपुर, दिनांक 02/05/2023

II-14-32/23

श्री राकेश कुमार रजक, सीनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को दिनांक 08.02.2023 से 10.03.2023 तक 31 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति  
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(रामकुमार चौबे)

१ रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/2363 /

जबलपुर, दिनांक 02/05/2023

II-14-32/23

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक अवकाश/798 इंदौर दिनांक 20.03.2023 के संदर्भ में श्री राकेश कुमार रजक, सीनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर का आवेदन पत्र, कार्यभार ग्रहण आवेदन पत्र एवं चिकित्सा पेपर्स संलग्न सहपत्रों को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।  
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विकास चंद्र मिश्रा)

१ रजिस्ट्रार (प्रशा.)